राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–362/2013/टोंक

श्रीमती रईसा बी पत्नि श्री फरीद मियां जाति मुसलमान निवासी पुराने इमानुअल स्कूल के सामने, मोती बाग रोड़, टोंक। ...प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक टोंक।
2. असलम मियां पुत्र श्री अच्छु खां, जाति मुसलमान निवासी मोती बाग पायगा, टोंक। ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री गिरिश शर्मा
अभिभाषक ....प्रार्थियां की ओर से

श्री अनिल पोखरणा
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी सं. 1 विभाग की ओर से

बावजूद सूचना अनुपस्थित ...अप्रार्थी संख्या 2

निर्णय दिनांक : 31.01.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 08.10.2012 प्रकरण संख्या 361/2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक टोंक द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ने अप्रार्थियां सख्या 2 से जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29.05.2012 द्वारा कस्बा गर्बी तहसील व जिला टोंक में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 4960 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी में से 6 बीघा 3 बीस्वा भूमि 8,00,000/– रूपये में क्रय की तथा बाद पंजीयन दस्तावेज प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात् मौका निरीक्षण के आधार पर प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति की लोकेशन लहन–पालडा रोड के पश्चिम की तरफ होने के कारण भूमि की मालियत 86,13,358/– रूपये आंकते हुए अन्तर मुद्रांक कर राशि 1,54,760/– रूपये, पंजीयन शुल्क 2,550/–

लगातार............2

रूपये वसूली हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय दिनांक 08.10.2012 द्वारा रेफरेन्स स्वीकार करते हुए सम्पत्ति की मालियत 86,13,358/– रूपये होना मानते हुए कमी मुद्रांक 1,54,760/– रूपये, पंजीयन शुल्क 2,550/– रूपये एंव शास्ति 690/– रूपये कुल 1,58,000/– रूपये प्रार्थीया से वसूल किए जाने के आदेश प्रदान कर दिये जिसके विरूद्व प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्राथी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि विद्धान कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर का निर्णय अस्पष्ट, कारण रहित व नॉन स्पीकिंग होने से काबिल निरस्तनीय है उन्होंने प्रकरण को निर्णित किए जाने में न तो विवेक और न ही अपना मस्तिष्क काम में लिया बल्कि उपपंजीयक, टोंक के द्वारा प्रतिप्रेषित रेफरेन्स को बिना कारण दर्शाये हूबहू स्वीकार कर लिया जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण कर रेफरेन्स के तथ्यों की जांच नहीं की है। प्रश्नगत दस्तावेज को उपंपजीयक, टोंक ने बाद पंजीयन प्रार्थीया को लौटा दिया गया था, एक बार दस्तावेज पंजीयन कर पक्षकारों को लौटा देने के बाद उपंपजीयक, टोंक को यह क्षेत्राधिकार नही रह गया था कि वह दस्तावेज पर कमी मालियत का रेफरेन्स प्रकरण बनाकर विद्धान कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर के यहां प्रेषित करते तथा दस्तावेज लौटाने के बाद Functus Officio हो गये थे। जिसे प्रकरण बनाने का क्षेत्राधिकार नहीं रह गया था। विद्धान कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर का आदेश एकपक्षीय है। विद्धान कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर ने प्रार्थीया को विधिवत न तो प्रकरण की सूचना ही दी न ही उसको विधिवत तामील करवाई गई। ऐसा आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

लगातार............3

5. राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. हमनें पत्रावली का अवलाकेन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि निगरानीकर्ता को निर्णय की जानकारी वसूली की कार्यवाही से हुई संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. निगरानी में प्रथम आधार यह है कि प्रश्नगत दस्तावेज को उपंपजीयक, टोंक ने बाद पंजीयन प्रार्थीया को लौटा दिया गया था, एक बार दस्तावेज पंजीयन कर पक्षकारों को लौटा देने के बाद उपंपजीयक, टोंक को यह क्षेत्राधिकार नही रह गया था कि वह दस्तावेज पर कमी मालियत का रेफरेन्स प्रकरण बनाकर विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर के यहां प्रेषित करते तथा दस्तावेज लौटाने के बाद Functus Officio हो गये थे जिसे प्रकरण बनाने का क्षेत्राधिकार नहीं रह गया था।

इस न्यायालय के विनम्रमतानुसार धारा 51(2) के अन्तर्गत जब कोई लिखित कम मूल्यांकित हो और उसे भूल से या अन्यथा रजिस्ट्रीकृत कर दी गई हो तो उप–पंजीयक को रेफरेन्स का अधिकार है तथा ऐसा रेफरेन्स मूल दस्तावेज के बिना भी किया जा सकता है। कलक्टर (मुद्रांक) को 51(5) में ऐसे रेफरेन्स को सुनने का अधिकार है। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है तथा इस न्यायालय के अनुसार उपपंजीयक रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है।

9. निगरानी में द्वितीय आधार यह है कि विद्धान कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर का निर्णय अस्पष्ट, कारण रहित व नॉन स्पीकिंग होने से काबिल निरस्तनीय है उन्होंने प्रकरण को निर्णित किए जाने में न तो विवेक और न ही अपना मस्तिष्क काम में लिया बल्कि उपपंजीयक, टोंक के द्वारा प्रतिप्रेषित रेफरेन्स को बिना कारण दर्शाये हूबहू स्वीकार कर लिया जो काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण कर रेफरेन्स के तथ्यों की जांच नहीं की है।

विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स इस बिन्दु पर आधारित था कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित सम्पत्ति की लोकेशन लहन–पालडा रोड के पश्चिम की तरफ होने के कारण इसका मूल्यांकन तद्नुसार डी.एल.सी. दरो के आधार पर किया जाना चाहिए। विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार किया है परन्तु कोई विवेचना एवं विश्लेषण नहीं किया है। रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में कोई जांच भी नहीं की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुये निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरूद्व अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं। किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स

(Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are

लगातार............5

announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है तथा निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य है।

12. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए एवं नियम 65(4)(IV) के अनुसार मौका देखकर रेफरेन्स के तथ्यों के संबंध में जांच करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.03.2017 को पेश हों।

14. निर्णय सुनाया गया।

नत्थूराम

(नत्थूराम)

सदस्य